

[भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ]

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

भारतीय मानक ब्यूरो
नई दिल्ली, -----

अधिसूचना

संख्या केन्द्रीय प्रमाणन विभाग/13:11 - भारतीय मानक ब्यूरो (प्रमाणन) विनियम, 1988, के विनियम 4 के उप विनियम (5) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि जिनके विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं को लाइसेंस प्रदान किए गए हैं:

अनुसूची

क्रम सं.	लाइसेंस संख्या	वैद्यता तिथि	पार्टी का नाम एवं पता (कारखाना)	उत्पाद	आइ एस सं./भाग/खण्ड वर्ष

()
उप/अपर महानिदेशक